बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः–बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए "परामर्श नीति" (Consultancy Policy) की स्वीकृति।

बिहार सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं कम से कम एक पोलिटेकनिक संस्थान संचालित है। वर्तमान में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान कार्यशील है। इन तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उच्च स्तर की आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में परंपरागत विषयों जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग के अतिरिक्त नवीनतम एवं उभरते हुए तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी इत्यादि में भी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर योग्य एवं तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन भी किया गया है।

2.विभिन्न जिलों में स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थान शिक्षा, विज्ञान एवं शोध में अब केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन करने की स्थिति में हैं। यहाँ उपलब्ध मानव संसाधन एवं संस्थान के आधारभूत संरचना का कुशलतम उपयोग के लिए आवश्यक है कि इन संस्थानों का समन्वय सरकार के विभिन्न विभागों, निजी संस्थानों, उद्योगों इत्यादि के साथ सुनिश्चित किया जाए। राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थान विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं अन्य उच्च रैंकिंग प्राप्त संस्थानों के मानक को पूरा कर सकें, इसलिएइन तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए परामर्श नीति का निरूपण देश के अग्रणी तकनीकी शिक्षा संस्थानों की तर्ज पर किये जाने की आवश्यकता है।

3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञाप सं० 5688, दिनांक 09.08.77 सेप्रावधानित है कि संस्थान में उपलब्ध उपकरणों द्वारा टेस्टिंग आदि का कार्य एवं संस्थान में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा परामर्श का कार्य किया जा सकता है एवं इससे प्राप्त आय को संस्थान के खाते में जमा किया जा सकता है। इस प्रकार के आय का उपयोग केवल संस्थान के विकास कार्यों के लिए संस्थान के प्राचार्य द्वारा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की स्वीकृति से करने का निदेश है। परन्तु उक्त के बावजूद संस्थानों के परामर्श के कार्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है जिसके कारण एक आकर्षक एवं व्यावहारिक परामर्श नीति की आवश्यकता थी।

4.राज्य के अग्रणी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में परामर्श नीति के अंतर्गत परामर्श हेतु विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को विस्तृत रूप से चिन्हित किया गया है एवं उक्त चिन्हित गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध आय के एक हिस्से को संस्थान विकास निधि (Institute

Development Fund) के लिए कर्णांकित किया गया है एवं एक हिस्से को संकाय सदस्य एवं अन्य कर्मियों को उनकी सेवा हेतु भुगतान के लिए कर्णांकित है। राष्ट्रीय स्तर के उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों के परामर्श नीति का अध्ययन कर बिहार राज्य के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की आवश्यकताओं एवं व्यावहारिकता को दृष्टिगत रख कर बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए परामर्श नीति तैयार किया गया है।

5. परामर्श नीति के अनुसार परामर्श सेवाएँ निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभक्त की गई है:–

(क) श्रेणी I :	अनुसंधान एवं विकास परामर्श: यह एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषज्ञता और कौशल पर आधारित होगा।
(ख) श्रेणी II :	परीक्षण परामर्श: इसमें एक मानक के निमित नमूना/अवयव/उत्पाद का परीक्षण शामिल होगा। इसमें निर्माण में कंक्रीट की शक्ति का परीक्षण, मिट्टी की संघनन शक्ति, दबाव नापने के यंत्र का कैलीब्रेशन एवं रासायनिक पहचान शामिल होगा। इसके लिए संस्थान में परीक्षण सुविधाएँ एवं विशेषज्ञता का उपलब्ध होना अपेक्षित होगा।
(ग) श्रेणी III :	सेवा परामर्श: इसके अंतर्गत संसाधन व्यक्तियों, कम्प्यूटेशनल सुविधाओं/सॉफ्टवेयर/हार्डवयेर एवं अन्य तकनीकी, भौतिक अवसंरचना का उपयोग क्लाईट द्वारा किया जा सकेगा।
(घ) श्रेणी IV :	विनिर्माण परामर्श: इसमें लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए उत्पादों का विनिर्माण शामिल होगा, जो क्लाईट द्वारा वित्तपोषित होगा और जिसके लिए संस्थान में आन्तरिक उपकरणों की विशेषज्ञता होगी।

6. क्लाईंट (सेवा प्राप्तकर्त्ता) से प्राप्त कुल निधि के वितरण के लिए विभिन्न प्रतिशत की गणना के मानक निम्नलिखित रूप में होंगे:–

विवरण	अनुसंधान एवं विकास परामर्श श्रेणी–I	परीक्षण परामर्श श्रेणी–II	सेवा परामर्श श्रेणी–III	विनिर्माण परामर्श श्रेणी–IV
क्लाईंट से प्राप्त कुल	X	X	X	X
कर एवं अन्य व्यय	Y	Y	Y	Y
शुद्ध राशि (कर एवं वास्तवित व्यय की कटौती के बाद) अर्थात् Z	Z=(X-Y)	Z=(X-Y)	Z=(X-Y)	Z=(X-Y)
संस्थान का हिस्सा अर्थात् I	I=Zका 60%	I=Zका 70%	I=Zका 70%	I=Zका 70%
प्रधान परामर्शी/परामर्शी/स्टाफ/अन्य शेयर	Z का 40%	Zका 30%	Z का 30%	Z का 30%

उपर्युक्त रूप में प्राप्त धनराशि से संबंधित संस्थान एवं ...
करेगा, जिससे संस्थान विकास कोष (आई०डी०एफ०) तथा पेशेवर विकास कोष (पी०डी०एफ०) के बीच राशि का वितरण (सभी श्रेणियों के तहत परामर्श परियोजनाओं के लिए) संस्थान के हिस्से Iका 80% एवं 20%के अनुपात में किया जायेगा। संस्थान विकास कोष में आवंटित राशि का उपयोग संबंधित संस्थान/विभाग में आवश्यक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने तथा क्षमतावर्द्धन गतिविधियों के लिए किया जायेगा।

7. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए "परामर्श नीति" (Consultancy Policy) की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए परामर्श नीति की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति अनुलग्नक–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है।

8. यह संकल्प मंत्रिपरिषद् की दिनांक–06.11.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–23 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 के पृ०–31/टि० पर प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मो० इबरार आलम)
संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :– 6/12/23
प्रतिलिपिः–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :– 6/12/23
प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार,पटना/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:–सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :– 6/12/23
प्रतिलिपि:–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, दिनांक :–6/12/23
प्रतिलिपि:–अपर सचिव, मत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दिनांक–06.11.2023 की बैठक में मद संख्या–23में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, 6/12/23
दिनांक:–प्रतिलिपि:–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक/सभी पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक :–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VI) विविध–01/23 4425 /पटना, 6/12/23 दिनांक
:–प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना